कई जिलों में मनरेगा की सोशल ऑडिट की रफ्तार धीमी

हिन्दुस्तान 19-06-13 Page-09

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

विभाग गंभीर

- 13 जिलों में अभी तक पांच से भी कम पंचायतों में हुआ अंकेक्षण
- जिन जिलों में अंकेक्षण हुआ, उनमें शिकायतों की संख्या काफी कम

ग्रामीण विकास विभाग ने मनरेगा में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सोशल ऑडिट की शुरुआत की है। परंतु कई जिलों में इसकी रफ्तार बेहद धीमी है। कुछ जिलों में इस वित्तीय वर्ष में चार महीने बीतने के बाद एक भी पंचायतों में ऑडिट नहीं हुई है। अभी तक राज्यभर की 8442 में से 4466 पंचायतों में एक बार सोशल ऑडिट हो चुका है। इनमें खगड़िया की 229 पंचायतों में सिर्फ चार, अररिया की 218 में महज एक, सारण की 11 पंचायतों में ही ऑडिट हुई है। इसके अलावा मधेपुरा, सहरसा, सीवान, औरंगाबाद जिलों की एक भी पंचायतों में सोशल ऑडिट नहीं हुई है। बेगूसरा, जहानाबाद, लखीसराय, मुंगेर, रोहतास और कैमूर जिलों में ऑडिट का आंकड़ा पांच पंचायतों को भी पार नहीं कर पाया है।

जिन जिलों की रफ्तार अच्छी है, उनमें कटिहार, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण, पूर्णिया समेत अन्य जिले शामिल हैं। कटिहार की सभी पंचायतों में ऑडिट हो चुकी है। जहां ऑडिट हो रही है, वहां शिकायतों की संख्या काफी कम है। अब तक ऐसी 41 फीसदी पंचायतों में महज 61 शिकायतें ही आई हैं। इनमें 20 पर कार्रवाई हुई है, शेष पर कार्रवाई चल रही है। ऑडिट में कम संख्या में शिकायतों के आने को विभाग ने गंभीरता से लिया है। विभाग ने ज्यादा संख्या में शिकायतों को इंटरनेट पर अपलोड करने के लिए कहा है। 31 जिलों ने सोशल ऑडिट का कैलेंडर तैयार किया है। जिन सात जिलों ने कैलेंडर तैयार नहीं किया है, उनमें औरंगाबाद, बेगूसराय, जहानाबाद, लखीसराय, मधेपुरा, सहरसा और सीवान शामिल हैं। 34 पंचायतों का ही डाटा वेरिफिकेशन हुआ है। मजदूरों के बीच जॉब स्टेटमेंट के वितरण की रफ्तार धीमी होना भी सोशल ऑडिट की रफ्तार धीमी होने का एक कारण है।

गौरतलब है कि मनरेगा के तहत एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक पंचायत की दो बार सोशल ऑडिट कराने का नियम है। ऑडिट से पहले प्रत्येक जिले को सोशल ऑडिट कैलेंडर तैयार करना है। हर जिले में सोशल ऑडिट करने के लिए एक पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किया गया है। पिछले वर्ष 91 फीसदी पंचायतों में ही दो बार सोशल ऑडिट हुई थी। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव अमृत लाल मीणा ने बताया कि जिन जिलों की रफ्तार धीमी है, उन्हें ऑडिट तेजी से करने के लिए कहा गया है। लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। पीआरएस को जॉब स्टेटमेंट तेजी से बांटने के लिए भी कहा गया है।